ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा (10)

आर0ई0आर0 केश सं0– 186/16–17

देवशरण सिंह बनाम् प्रमीला देवी वगै0

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक देवशरण सिंह, सा0 व थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–रकसा मसकन्द नं0–565, गैर मजरूआ जमाबंदी नं0–05, दाग नं0–32, रकवा–00–09–12 धूर एवं जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–30, अंश रकवा–00–08–13 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक जमाबंदी रैयत मौजा–रकसा मसकन्द नं0–565 थाना–महागामा के अंतर्गत आता है। मौजा–रकसा मसकंद की भूमि को आवेदक के चाचा विश्वनाथ सिंह ने प्राप्त किया था, जो शिवनारायण सिंह का बड़ा भाई है। आवेदक के पिता का जमीन संयुक्त रूप से दर्ज है। पारिवारिक व्यवस्था के तहत् बटवारा में उक्त भूमि आवेदक के पिता के हिस्से में आई। विपक्षी सं0–01 ग्राम–मानिकपुर, थाना–पोड़ैयाहाट का निवासी है और वर्त्तमान में मौजा–रकसा मसकंद, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–30, रकवा–00–08–13 धूर जमीन को खरीदा है। अब विपक्षी सं0–01, आवेदक के आवेदन में वर्णित जमीन मौजा–रकसा मसकंद, जमाबंदी नं0–05, दाग नं0–32, रकवा–00–09–12 धूर जमीन हड़पने की नियत से विवाद उत्पन्न कर रहे है। विपक्षी गलत नियत से आवेदक के उपर द0प्र0सं0 की धारा–133 के तहत् दाग न0–32 के जमीन को लेकर केश दायर किया गया है। दाग नं0–32 के जमीन को अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा आवेदक के साथ बंदोवस्त कर लगान धार्य कर दिया गया है। विपक्षी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 का अवहेलना किया गया है। विपक्षी सं0–01 बनिया जाति का है तथा अन्य विपक्षीगण पासवान दुसाध जाति का है। अतः भूमि का हस्तांतरण किसी के साथ नहीं हो सकता है। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विपक्षीगण को मौजा–रकसा मसकन्द नं0–565, गैर मजरूआ जमाबंदी नं0–05, दाग नं0–32, रकवा–00–09–12 धूर जमीन से उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद विपक्षी सं0–01 पर किसी भी किमत पर चलने योग्य नहीं है। विपक्षी सं0–01 ने मौजा–रकसा मसकंद, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–30 की जमीन पर पक्का का मकान बना लिया है तथा सपरिवार निवास कर रही हैं। उक्त मौजा के दाग नं0–30, रकवा–00–08–13 धूर जमीन कुरफा बंदोवस्ती के माध्यम से बैजनाथ भगत से प्राप्त किया है जो उसने अपनी बेटी प्रमिला देवी को दान दिया था। आवेदक बिल्कुल बाहरी व्यक्ति हैं और विवादित भूमि के जमाबंदी रैयत से उनका कोई संबंध नहीं ळै। विपक्षी सं0–01 मौजा–रकसा मसकंद, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–30 की जमीन पर खेती–बाड़ी का अधिकार एवं दखल प्राप्त कर ली हैं। विपक्षी सं0–01 के द्वारा दाग नं0–32 की जमीन से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ रास्ता है, जो आवेदक द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे विपक्षी सं0–01 को

घर आने–जाने के क्रम में समस्या उत्पन्न होती है। आवेदक द्वारा अतिक्रमण कि मौजा–रकसा मसकंद, जमाबंदी नं0–05, दाग नं0–32 गैर मजरूआ जमीन है। परगना में आवासीय मकान बन जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को उच्छेद नहीं किया सकता है। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विपक्षी सं0–01 पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–42 नहीं करते हुए आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0–02 एवं 03 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद विपक्षी सं0–01 पर किसी भी किमत पर चलने योग्य नहीं है। विपक्षी सं0–01 पहले से ही पक्का का मकान बनाकर मौजा–रकसा मसकंद, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–30 में परिवार सहित निवास कर रही है। विवादित भूमि दाग नं0–30 के रकवा– 00–08–13 धूर जमीन कुरफा बंदोवस्ती से बैजनाथ भगत के नाम से प्राप्त किया है और बैजनाथ भगत ने प्रमिला देवी को दान में दिया है। आवेदक बाहरी व्यक्ति है तथा जमाबंदी रैयत के वंशवली में नहीं आता है। विपक्षी सं0–01 ने मौजा–रकसा मसकंद, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–30 पर दखल प्राप्त कर लिया है, परन्तु दाग नं0–32 की जमीन पर सिर्फ रास्ता को छोड़कर विपक्षी सं0–01 का कोई सरोकार नहीं है। उस रास्ता को आवेदक द्वारा जमाबंदी नं0–05, दाग नं0–32 को अतिक्रमण कर लिया गया है, जो गैर मजरूआ है। विपक्षी सं0–01 विवादित भूमि दाग नं0–30 पर एडभर्स पोजिशन प्राप्त कर लिया है। उसे दाग नं0–32 पर सिर्फ रास्ता से मतलब है। विपक्षी सं0–02 एवं 03 का कहना है कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पिता सहदेव हाजरा ने एक कुरफा बंदोवस्ती दस्तावेज बैजनाथ भगत को अपने इच्छा से मकान बनाकर रहने हेतु दिया है। आवेदक ने यह केश संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–42 के तहत् विपक्षी सं0–01 के परेशान करने की नियत से दायर किया है, जबकि आवेदक ने विपक्षी सं0–01 के रास्ते को अतिक्रमण कर लिया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, महागामा ने अतिक्रमण वाद सं0–07/2011–12 में दिनांक–11.05.2012 को पारित आदेश में स्पष्ट किया है कि पारिवारिक बटवारा के तहत् प्रश्नगत भूमि देवशरण सिंह के हिस्से की है एवं दखलकार है। देवशरण सिंह का वैध दखल कब्जा है तथा विपक्षी द्वारा भी कहा गया है कि वादगत भूमि से कोई सरोकर नहीं है।

अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 का उपयोग करते हुए वादगत भूमि मौजा–रकसा मसकन्द नं0–565, गैर मजरूआ जमाबंदी नं0–05, दाग नं0–32 से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

17.01.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

17.01.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
S.C. Chaudhary, Adv.
29.03.2019